भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 198

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में स्टार्ट-अप

198. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में जिलावार कितनी स्टार्ट-अप कंपनियां शुरू की गई हैं;

(ख) इन स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि जुटाई गई है और इनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए विनियामक व्यवस्था को आसान बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 की जीएसआर अधिसूचना 127 (ई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में तमिलनाडु राज्य में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का जिला-वार विवरण **अनुबंध - I** में दिया गया है।

(ख): इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग): सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इस संबंध में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किए गए 53 प्रमुख विनियामक सुधारों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय **अनुबंध-III** में दिये गए हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत सभी पहलें समावेशी हैं और राज्यों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई हैं।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 07.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (30 नवंबर 2022 तक) में तमिलनाडु राज्य में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का जिला-वार विवरण निम्नलिखित है:

जिले	2019	2020	2021	2022 (30 नवंबर 2022 तक)
अरियालुर		1	2	2
चेन्नई	344	380	515	661
कोयंबटूर	87	90	153	186
कुड्डालोर	2	5	12	1 1

धर्मपुरी	1	3	5	8
डिंडीगुल	1	6	12	17
इरोड	10	13	29	31
कांचीपुरम	62	76	109	135
कन्याकुमारी	4	10	12	25
करूर	1	6	9	4
कृष्णागिरी	2	12	17	23
मदुरै	9	23	32	59
नागपट्टिनम	1	2	2	4
नमक्कल	2	13	14	15
पेरम्बलुर				2
पुदुक्कोट्टई		1	4	4
रामनाथपुरम	2	2	4	4
सलेम	3	13	15	30
शिवगंगा	2		5	8
तंजावूर	3	5	10	22
नीलगिरी		1	4	9
थेनी	1	4	1	10
थूथूकुडी		3	10	16
तिरुचिरापल्ली	12	22	30	48
तिरुनेलवेली	4	3	1 1	16
तिरुपुर	1 1	12	1 1	28
तिरुवल्लुर	20	23	44	70
तिरुवन्नामलाई	1	3	3	10
तिरुवरुर	1	1	2	3
वेल्लोर	1 1	10	14	20
विलुप्पुरम	1	3	4	9
विरुधुनगर	4	9	8	1 1
कुल योग	**602**	**755**	**1103**	**1501**

अनुबंध- II

दिनांक 07.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप परिवेश हेतु किए गए 53 प्रमुख विनियामक सुधार निम्नानुसार हैं:

भारतीय रिजर्व बैंक

1. स्टार्टअप उद्यमों को वाह्य वाणिज्यिक ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत 3 मिलियन अमरीकी डॉलर तक ऋण प्राप्त करने की अनुमति है। (अक्टूबर, 2016)
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) स्टार्टअप्स, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में लगे हों, सहित स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 की अनुसूची 6 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में संलग्न भारतीय कंपनी की 100% पूंजी तक योगदान दे सकता है (अगस्त, 2017)
3. एक भारतीय स्टार्टअप, जो विदेशी सहायता प्राप्त है, उक्त इकाई और/या विदेशी सहायक के निर्यात/बिक्री से उत्पन्न होने वाली राशि द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री से अलग विदेशी विनिमय आय को जमा करने के लिए भारत के बाहर एक बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। (जून, 2016)
4. सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा दायर सॉफ्टेक्स फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है। (फरवरी, 2019)
5. एफडीआई नीति के अनुसार, स्टार्टअप की अवधि को परिवर्तनीय नोट की परिभाषा के उद्देश्य से दिनांक 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरुप बनाया गया है। (मार्च, 2022)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

6. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, द्वारा दिनांक 04-01-2017 से, एंजल फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए निश्चित अवधि 3 वर्ष को घटाकर 1 वर्ष तक संशोधित कर दिया गया है।
7. एंजेल फंड को विदेशी निवेश उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश करने की अनुमति है, जो सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा दिनांक 04-01-2017 से प्रदान की गई अन्य एआईएफ के अनुरूप उनके निवेश योग्य कॉर्पस के 25% तक है।
8. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा दिनांक 04-01-2017 से किसी स्कीम में एंजल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा को उनन्चास से बढ़ाकर दो सौ कर दिया गया है।
9. किसी भी उद्यम पूंजी उपक्रम में एंजेल फंड द्वारा न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकताओं को सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा दिनांक 04-01-2017 से पचास लाख से घटाकर पच्चीस लाख कर दिया गया है।
10. सेबी द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्रों में वैकल्पिक निवेश निधि के लिए परिचालन दिशानिर्देश" जारी कर दिए हैं (नवंबर, 2018)
11. एआईएफ विनियम के अंतर्गत, स्टार्टअप की परिभाषा को स्टार्टअप्स में एंजिल फंड द्वारा निवेश के लिए 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरूप किया गया है।
12. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021 के द्वारा वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की परिभाषा से प्रतिबंधित गतिविधियों या क्षेत्रों की सूची को हटाया गया है अर्थात श्रेणी-1 एआईएफ अब एनबीएफसी में निवेश कर सकते हैं। (5 मई, 2021)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

13. निजी कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट-अप है) में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है। (जून, 2017)
14. एक निजी कंपनी, जिसे इसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट-अप के रूप में माना जाता है, को भी राशि पर बिना किसी प्रतिबंध के सदस्यों से जमा स्वीकार करने की अनुमति है। (सितंबर, 2017)
15. कंपनी अधिनियम, 2013 के उद्देश्य से परिभाषित स्टार्टअप: परिभाषा के अनुसार, एक स्टार्ट-अप कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक निजी कंपनी से है और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार "स्टार्टअप" के रूप में मान्यता प्राप्त है। (जून, 2017)
16. शेयरधारकों से जमा बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन से छूट (जैसे कि एक प्रस्ताव परिपत्र जारी करना या जमा पुनर्भुगतान आरक्षित करना) (जून, 2017)
17. एक निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) के संबंध में, वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव, या जहां कंपनी का कोई कंपनी सचिव नहीं है वहां पर निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (जून, 2017)
18. एक निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) को एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक है और दोनों बैठकों के बीच का अंतर नब्बे दिनों से कम ना हो। (जून, 2017)
19. कंपनी निगमन के लिए नाम आरक्षण: नियम 8, कंपनी (निगमन) नियम, 2014, कंपनी (निगमन) 5वें संशोधन नियम, 2019 के साथ प्रतिस्थापित, जो मौजूदा कंपनी के नाम, कंपनी की अवांछनीय नामों की नई श्रेणियों के साथ समानता पर नए नियम प्रदान करता है और उन शब्दों की सूची जिन्हें अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। (मई, 2019)
20. कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अवधि को निगमन की तारीख से 5 वर्ष से 10 वर्ष करके स्टार्टअप के प्रोमोटरों और निदेशकों (10% से अधिक इक्विटी धारक) को ईएसओपी प्रदान किया जा सकता है और इस तरह डीपीआईआईटी अधिसूचना में 19 फरवरी, 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के साथ कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण) नियमों को श्रेणीबद्ध किया गया।

    अधिसूचना ने कंपनी में मतदान के अधिकार वाले शेयरों की सीमा को भी बढ़ा दिया, कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी पूंजी के कुल पोस्ट-इश्यू के 26% से लेकर कुल वोटिंग पावर के 74% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, डीवीआर शेयरों को जारी करने के लिए पिछले तीन वर्षों के वितरण योग्य मुनाफे के लगातार रिकॉर्ड रखने की कंपनी की शर्त को हटा दिया गया है। (अगस्त 2019)
21. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, अनुसूची VII में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों में योगदान को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, और इसमें योगदान करने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में

स्थापित), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगे हुए हैं। (अक्टूबर 2019)

22. भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने मौजूद एसपीआईसीई प्रपत्र के स्थान पर नए एकीकृत वेब प्रपत्र की शुरुआत की है जिसका नाम 'एसपीआईसीई+' है। एसपीआईसीई केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) की 10 सेवाएं तथा राज्य सरकार (महाराष्ट्र) की एक सेवा प्रदान करेगा जिससे भारत में व्यवसाय शुरु करने की कई प्रक्रियाएं, समय और धन की बचत होगी तथा यह 23 फरवरी 2020 से निगमित होने वाली सभी नई कंपनियों के लिए लागू होगा। एसपीआईसीई+ के दो भाग हैं: भाग क- नई कंपनियों के लिए नाम आरक्षण हेतु तथा भाग ख कई सेवाएं प्रदान करता है जैसे (i) निगमीकरण (ii) डीआईएन आबंटन (iii) अनिवार्य रूप से पैन जारी करना (iv) अनिवार्य रूप से टैन जारी करना (v) ईपीएफओ का अनिवार्य पंजीकरण (vi) ईएसआईसी का अनिवार्य पंजीकरण (vii) पेशेवर कर का अनिवार्य पंजीकरण (महाराष्ट्र) (viii) कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से बैंक खाता खोलना और (ix) जीएसटीआईएन (यदि आवेदन किया गया है तो) का आबंटन। (फरवरी 2020)

23. कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 05 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें स्वेट इक्विटी शेयरों की अवधि को निगमीकरण की तारीख से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है तथा इस प्रकार कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम के प्रावधान डीपीआईआईटी की 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुरूप हो गए हैं। (जून 2020)

24. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 07 सितंबर, 2020 को अधिसूचना जारी थी जिसमें परिवर्तनीय नोट की अवधि को जारी करने की तारीख से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और इस प्रकार कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम के प्रावधान डीपीआईआईटी की 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुरूप हो गए हैं। (सितंबर 2020)

25. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 07 सितंबर, 2020 को अधिसूचना जारी थी जिसके जरिए सदस्यों द्वारा निजी कंपनियों से स्वीकार की जाने वाली जमा राशि से संबंधित उच्चतम सीमा स्टार्टअप कंपनी पर 5 वर्ष की बजाय 10 वर्ष के लिए लागू नहीं होगी। (सितंबर 2020)

26. भुगतान की गई पूंजी और कारोबार पर को बिना किसी प्रतिबंध के ओपीसी आगे बढ़ने की अनुमति देकर, किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में उसके परिवर्तन की अनुमति देकर, किसी ओपीसी को स्थापित करने के लिए भारतीय नागरिक हेतु निवास की सीमा को 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करके तथा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को भी भारत में ओपीसी का निगमन करने की अनुमति देकर एकल स्वामित्व वाली कंपनी (ओपीसी) का निगमन। (फरवरी 2021)

27. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना द्वारा स्टार्टअप की परिभाषा को सुसंगत करते हुए दिनांक 30 अगस्त, 2022 को एक अधिसूचना जारी की। (अगस्त 2022)

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

28. घरेलू कंपनी के मामले में, जहां उसका कुल कारोबार या पिछले वर्ष में कुल प्राप्ति दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उस पर कुल आय का 25 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाएगा। (फरवरी, 2018)

29. योग्य व्यवसाय की परिभाषा जैसा कि धारा 80-आईएसी में स्टार्टअप्स परिभाषा में बताया गया है। (अप्रैल, 2018)

30. आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 54ईई की शुरुआत: यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में इस तरह के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश किया जाता है तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट। अधिकतम निवेश की राशि 50 लाख रुपये है। (मई, 2016)

31. आयकर अधिनियम की धारा 54जीबी में संशोधन: आवासीय मकानों या आवासीय भूखंडों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर से छूट, यदि कुल राशि को निर्दिष्ट संपत्ति की खरीद हेतु उसी के उपयोग के लिए पात्र स्टार्टअप के इक्विटी शेयरों के निर्धारित हिस्से में निवेश की जाती है। (फरवरी, 2016)

32. न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को दस मूल्यांकन वर्षों के बजाय पंद्रहवें मूल्यांकन वर्ष तक आगे ले जाने की अनुमति दी गई है। (2017)

33. आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के अंतर्गत छूट: ऐसे पात्र स्टार्टअप को शामिल किए जाने वाले वर्ष से शुरू होने वाले 7 वर्षों (पूर्व 5 वर्षों) में से किन्हीं भी लगातार 3 मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र स्टार्टअप

को छूट। (अप्रैल, 2018)

34. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्व-घोषणा के आधार पर उचित बाजार मूल्य से ऊपर के शेयरों को जारी करने के लिए स्टार्टअप्स को धारा 56 (2) (viiख) के प्रावधानों के अंतर्गत कर से छूट। जारी करने के बाद या जारी करने के प्रस्तावित स्टार्टअप के भुगतान की गई शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (फरवरी, 2019)

35. परिवर्तनीय नोटों का कराधान - वह अवधि जिसके लिए परिवर्तन से पहले एक बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक अथवा डिपॉजिट सर्टिफिकेट रखा गया था, ऐसे शेयरों या डिबेंचर के परिवर्तन पर इन्हें रखने की अवधि निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा। (मार्च, 2016)

36. आयकर अधिनियम की धारा 54जीबी में 01 अप्रैल 2020 से संशोधन: (अगस्त 2019)
    i. 50% शेयर पूँजी की न्यूनतम होल्डिंग की शर्त अथवा स्टार्ट-अप में मताधिकार में 25% तक छूट।
    ii. उस अवधि का विस्तार जिसके अंतर्गत आवासीय संपत्ति की बिक्री से धारा 54 जीबी के तहत लाभ 31 मार्च, 2021 तक लिया जा सकता है।
    iii. कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नई संपत्ति के हस्तांतरण को दिनांक 1-04-2020 से 5 वर्ष से 3 वर्ष तक सीमित करने की छूट संबंधी शर्त।

37. आयकर अधिनियम की धारा 79 (अगस्त 2019) में संशोधन: दो शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि होने पर अपने नुकसान को आगे ले जाने के लिए पात्र स्टार्टअप्स :
    i.51% शेयरधारण / मतदान शक्ति की निरंतरता अथवा
    ii.वोटिंग पावर लेने वाले मूल शेयरधारकों की 100% निरंतरता

38. इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे श्रेणी I और II आईएएफ से होने वाले नुकसान से गुजरने की अनुमति आमदनी से गुजरना है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2020-21 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होंगे। (अगस्त 2019)

39. स्टार्टअप में श्रेणी-I आईएएफ की उद्यम पूंजी निधि द्वारा किए गए निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई थी। यह छूट उक्त धारा में "निर्दिष्ट निधियों" की शुरूआत के माध्यम से श्रेणी- I आईएएफ और श्रेणी- II आईएएफ की सभी उप-श्रेणियों हेतु प्रदान की गई है। (अगस्त 2019)

40. वित्त अधिनियम 2020 विशिष्ट व्यवसायों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80-आई एसी में संशोधन करने की मांग करता है। धारा 80-आई एसी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्टअप द्वारा सात वर्ष के पूर्ववर्ती मानदंडों की तुलना में दस में से लगातार तीन वर्षों तक पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती करने की व्यवस्था है जिसका विकल्प निर्धारिती को मिलता है तथा उस मूल्यांकन वर्ष, जिसमें लिए इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, के लिए संगत पिछले वर्ष में उनके व्यवसाय का उत्पादन सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तद्नुसार मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तथा इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। (फरवरी 2020)

41. वित्त अधिनियम 2020 विशेष व्यवसायों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन करने के लिए है। धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्टअप द्वारा दस में से लगातार तीन वर्षों तक पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती करने की व्यवस्था है जिसका विकल्प निर्धारिती को मिलता है तथा उस मूल्यांकन वर्ष, जिसमें लिए इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, के लिए संगत पिछले वर्ष में उनके व्यवसाय का उत्पादन पहले के पच्चीस करोड़ रुपए के मानदंड की तुलना में सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तद्नुसार मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तथा इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। (फरवरी 2020)

42. वित्त अधिनियम 2020 आयकर अधिनियम की धारा 156, 191 और 192 में संशोधन करने के लिए है ताकि कर्मचारी धारा 80-Iएसी में संदर्भित पात्र स्टार्टअप की धारा 17(2)(vi) के तहत रिआयत के रूप में प्राप्त विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर प्राप्त करने, जो संगत मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से अड़तालिस माह की समाप्ति के बाद चौदह दिन के भीतर या निर्धारिती द्वारा ऐसी विशिष्ट प्रतिभूमि या स्वेट इक्विटी शेयर की बिक्री की तारीख से या निर्धारिती के किसी व्यक्ति के कर्मचारी के रूप में समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से कटौती या भुगतान, जैसा भी मामला हो, में समर्थ हों, जो उक्त विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर के आबंटन या हस्तांतरण वाले वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर आधारित होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। पहले के मानदंडों के अनुसार, ईएसओपी सहित ऐसी रियायत पर कर्मचारी द्वारा विकल्प के इस्तेमाल के समय कर लगता था। (फरवरी, 2020)

43. वित्त विधेयक 2021 स्टार्टअप्स के लिए कर छूट के दावे के लिए पात्रता अवधि के एक और वर्ष तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2021)

44. वित्त विधेयक 2021 स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ छूट का दावा करने के लिए एक वर्ष तक अर्थात 31 मार्च, 2022 तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2021)

45. वित्त विधेयक 2022 स्टार्टअप्स के लिए कर छूट के दावे के लिए पात्रता अवधि के एक और वर्ष तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2022)

46. वित्त विधेयक 2022 में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर प्रभार की अधिकतम सीमा को मौजूदा 37 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है। कर की प्रभावी दर को 28.5 प्रतिशत से घटाकर 23.9 प्रतिशत कर दिया गया है। (फरवरी, 2022)

आर्थिक कार्य विभाग

47. वित्त मंत्रालय अब गैर-सरकारी भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति और ग्रैच्यूटी फंड को सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी । और ।। के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में अपने निवेश योग्य सरप्लस के 5 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देता है। (मार्च 2021)

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

48. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों को उन फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) में निवेश की अनुमति प्रदान की है जो कुछ शर्तों के अधीन देश के भीतर निवेश करते हैं। (अप्रैल, 2021)

व्यय विभाग

49. परामर्शदात्री और अन्य सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु मैन्युअल के अंतर्गत स्टार्टअप की परिभाषा को 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरूप किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

50. श्रम और रोजगार मंत्रालय अब ईपीएफओ को सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी । और ।। के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में अपने निवेश योग्य सरप्लस के 5 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देता है। (अप्रैल 2021)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

51. इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) संचालन दिशा-निर्देशों से उपनियम को हटाते हुए कहा गया है कि यदि कोई फंड स्टार्टअप्स के लिए निधियों के निधि से निकाला जाता है, तो वे ईडीएफ और इसके विपरीत से फंड नहीं निकाल सकते हैं। (नवंबर, 2018)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

52. स्टार्टअप की परिभाषा में संशोधन: किसी इकाई को इसके निगमन/पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा क्योंकि इसके निगमन/ पंजीकरण की तिथि से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है। (फरवरी, 2019)

53. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 21 सितंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 646(अ) द्वारा पेटेंट नियमों में संशोधन किया है। पेटेंट नियमों में पेटेंट फाइल करने और अभियोजन हेतु शुल्क में 80 प्रतिशत की कमी से संबंधित लाभ अब शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रदान किया गया है। (सितंबर 2021)

*****

अनुबंध- III

दिनांक 07.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम</u>

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **<u>स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:</u>** 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण समर्थन और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षाविद साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक वाईब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी है ।
2. **<u>स्टार्टअप्स के लिए निधियों का निधि (एफएफएस) स्कीम:</u>** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की निगरानी एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरूआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नये वेंचर कैपिटल फंड को बढ़ावा दिया है।
3. **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस):** सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरूआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
4. **<u>विनियामक सुधार</u>:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्ट परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 50 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
5. **<u>अधिप्राप्ति को आसान बनाना:</u>** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयो/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकि विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक समर्पित स्थान है।

6. **<u>बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता</u>:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरूआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिये उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापर चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

7. **<u>श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:</u>** स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत उनके अनुपालन के स्व-प्रमाणित करने के लिए अनुमति दी जाती है।
8. **<u>3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:</u>** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि में से लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।

9. **<u>भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच</u>:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिये भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यहां अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिये किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर और यूएई) के साथ संपर्क स्थापित किया है जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।

10. **स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास :** सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।

11. **स्टार्टअप इंडिया हब :** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगाया जा सके, जुड़ा जा सके और संलग्न हुआ जा सके। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।

12. **अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):** डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।

13. **स्टार्टअप इंडिया शोकेस :** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस मंच पर अपनी उपस्थिति को वैध ठहराया है।

14. **राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद :** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य है जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. **स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह :** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर समारोह में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को किया जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।

16. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस):** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं।

17. **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार:** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेब्लर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विकासयोग्य उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपत्ति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को इन 9 प्रमुख मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लाभ, दूरदर्शन पर स्टार्टअप इंडिया चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।

18. **राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क:** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य बेहतर परिपाटियों की पहचान करने, सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत कार्यकलाप को उजागर करना और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

19. **दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन:** पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर करते हुए दूरदर्शन पर एक-दिवसीय साप्ताहिक कार्यक्रम नामतः स्टार्टअप चैम्पियन दिया गया। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अङ्ग्रेज़ी में प्रसारित किया गया है।

20. **स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह :** सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है जिसका मुख्य लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों,

निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के इस समारोह में एक साथ लाना था।

*****